

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या -52/2024-25

तिथि	आदेश	कि गई कार्रवाई														
29/01/25	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी पोटका के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान हैं:- - विक्रेता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है। - विक्रेता और क्रेता दोनों ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न) - क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही एक ही थाना के निवासी हैं, जिस थाना के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न) - प्रस्तावित अन्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (क) के अन्तर्गत विक्रेता :-कुनुराम मुर्मू, पिता-माधव मुर्मू, जाति-संथाल, ग्राम-बालिजुड़ी, थाना-पोटका, अंचल-पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम को मूल्य-1,00,000/-रुपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता :-बिक्रम हेम्ब्रम, पिता-सामु हेम्ब्रम, जाति-हो, ग्राम-बालियागोड़ा, थाना-पोटका, अंचल-पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम के नाम विक्री हेतु निम्नांकित जमीन :- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th></tr><tr><td rowspan="3">बालिजुड़ी</td><td rowspan="3">1338</td><td rowspan="3">177</td><td>538</td><td>6.60डी०</td></tr><tr><td>539</td><td>6डी०</td></tr><tr><td>कुल-</td><td>12.60डी०</td></tr></table> के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है। लेखापित भूमि सुधार उप समाहर्ता, धालभूम, जमशेदपुर।	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	बालिजुड़ी	1338	177	538	6.60डी०	539	6डी०	कुल-	12.60डी०	
मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा												
बालिजुड़ी	1338	177	538	6.60डी०												
			539	6डी०												
			कुल-	12.60डी०												